प्रेस नोट

दिनांक 18.10.2024, थाना परसपुर,

जनपद गोण्डा।

धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने व शान्ति व्यवस्था खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चीमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 410/2024, धारा 299, 196(1)ए बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त जमाल अहमद पुत्र फारूक निवासी शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को भौरी टैक्सी स्टैण्ड परसपुर से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.10.2024 को थाना परसपुर को सूचना प्राप्त हुई की जनपद बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस्लामिक झण्डा हटाने के विवाद को लेकर जमाल अहमद द्वारा धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने की नियत से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। जिससे समाज में काफी रोष व्याप्त है । उ0नि0 अरविन्द कुमार की तहरीर के आधार पर पर मु0अ0सं0- 410/2024, धारा 299, 196(1)ए बीएनएस बनाम जमाल अहमद पुत्र फारूक निवासी शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियोग में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना परसपुर को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी अभियुक्त जमाल अहमद पुत्र फारूक निवासी शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को भौरी टैक्सी स्टैण्ड परसपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जमाल अहमद पुत्र फारूक निवासी शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 410/2024, धारा 299, 196(1)ए बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगीः-

01. 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सावन सिंह
02. का0 सुनील कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 18.10.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 07 आरोपी अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व प्रत्येक को रूपये 21,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 21,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में अभियुक्तों 01. सन्तराम, 02. खुनखुन, 03. गुरूदेव, 04. नोबत, 05. हवलदार, 06. धर्म बहादुर, व 07. दूधनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 उषा रावत के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को माननीय पीठासीन अधिकारी श्री नासिर अहमद द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रु0 21,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. सन्तराम पुत्र द्वारिका केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. खुनखुन पुत्र भरोसे केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
03. गुरूदेव पुत्र जगेसर केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
04. नौबत पुत्र सालिक राम केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
05. हवलदार पुत्र सालिकराम केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
06. धर्म बहादुर पुत्र सालिकराम केवट निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
07. दूधनाथ पुत्र रामजस बरुवार निवासी ग्राम मंगरेपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 260/2010, धारा 147, 148, 304, 323, 504, 506 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।